सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

15 श्रावण, 1943 (श०)

संख्या-400 राँची, शुक्रवार, 6 अगस्त, 2021 (ई०)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

23 जुलाई, 2021 / 01 श्रावण, 1943 (शक)

सं.झार.-वि.स./पूर्व अनु०-1/**24**/2019--यत: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा झारखण्ड राज्य के विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2019 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./102/2019 दिनांक 1 नवम्बर, 2019 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 23 दिसम्बर, 2019 थी।

और यत:, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है

और यत:, 24-माण्डु विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 23 दिसम्बर, 2019 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अंन्तिम तारीख 22 जनवरी, 2020 थी;

और यत:, जिला निर्वाचन अधिकारी, **हजारीबाग**, झारखण्ड द्वारा दिनांक **25 जनवरी, 2020** के पत्र सं **42/निर्वा०** द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, झारखण्ड द्वारा अपने दिनांक **3 फरवरी, 2020** के पत्र

सं० **01/निर्वा-ई.ई.एम-को.-42/2019/201**, के जरिए अग्रेषित दिनांक **25 जनवरी, 2020** की रिपोर्ट के अनुसार **श्री सुन्दर लाल मराण्डी** जो झारखण्ड के **24-माण्डु** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले **निर्दलीय** अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यत:, जिला निर्वाचन अधिकारी, **हजारीबाग**, झारखण्ड और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, झारखण्ड की रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्री सुन्दर लाल मराण्डी** को कारण बताओ नोटिस दिनांक **8 जुलाई, 2020** को जारी किया गया था;

और यत:, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक **8 जुलाई, 2020** के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए **श्री सुन्दर लाल मराण्डी** को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यत:, उक्त नोटिस **श्री सुन्दर लाल मराण्डी** द्वारा दिनांक **02 सितम्बर, 2020** को प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, **हजारीबाग** द्वारा अपने दिनांक **14 सितम्बर, 2020** के पत्र सं० **329/निर्वा.** के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यत:, जिला निर्वाचन अधिकारी, **हजारीबाग** द्वारा अपने दिनांक **15 अक्टूबर, 2020** के पत्र सं० **361/निर्वा०** के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि **श्री सुन्दर लाल मराण्डी** ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यत:, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री सुन्दर लाल मराण्डी** निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यत:, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है: तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा"

अत:, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतदद्वारा घोषणा करता है कि झारखण्ड राज्य के **24-माण्डु** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से झारखण्ड राज्य के विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले **निर्दलीय** के अभ्यर्थी **श्री सुन्दर लाल मराण्डी, म०स०-54, ग्राम+पो-दिगवार, थाना-चुरचू, जिला-हजारीबाग, झारखण्ड** को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

आदेश से,

(अरविन्द आनन्द)
प्रधान सचिव

उपरोक्त आदेश का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(के० रवि कुमार)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

23 July, 2021 / 01 Sravana, 1943 (Saka)

No. JKD-LA/ES-I/24/2019--WHEREAS, the General Election to Jharkhand Legislative Assembly 2019 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. **ECI/PN/102/2019** dated **1st November, 2019**. As per the schedule, the date of Counting was **23rd December, 2019**.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, concerned from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including **24-Mandu Assembly** Constituency in Jharkhand State on **23rd December, 2019**. As such the last date for lodging of account of election expenses was **22nd January, 2020**.

AND WEHREAS, as per the report vide letter No. 42/निर्वा dated **25th Jan, 2020** submitted by the District Election Officer, **Hazaribagh** Jharkhand and forwarded by Chief Electoral Officer, Jharkhand vide letter No. 01/निर्वा-ई.ई.एम-को.-42/2019/201, dated **3rd February, 2020, Sh. Sundar Lal Marandi**, an **Independent** contesting candidate from **24-Mandu Assembly** Constituency in Jharkhand, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WEHREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer **Hazaribagh**, Jharkhand and the Chief Electoral Officer, Jharkhand a Show Cause Notice, dated **8th July, 2020** was issued by Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to **Sh. Sundar Lal Marandi** for non-submission of Election expenses;

AND WEHREAS, as per Sub Rule(6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated **8th July, 2020, Sh. Sundar Lal Marandi** was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for non-

submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WEHREAS, the said notice was received by **Sh. Sundar Lal Marandi** on **02nd September, 2020**. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, **Hazaribagh** vide his letter **329/निर्वा. dated 14th September, 2020**.

AND WEHREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Hazaribagh** vide his letter **361/निर्वा. dated 15th October, 2020** it has been stated that **Sh. Sundar Lal Marandi** has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WEHREAS, the Commission is satisfied that **Sh. Sundar Lal Marandi** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WEHREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person:

(a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure,

Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the order."

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby declares **Sh. Sundar Lal Marandi** resident of **H.No-54, Village+Post-Digwar, P.S-Churchu, Dist. Hazaribag, Jharkhand** and an **Independent** contesting candidate for General Election to Legislative Assembly of Jharkhand, 2019 from **24-Mandu Assembly** Constituency in the State of Jharkhand to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By Order,

(ARVIND ANAND)
PRINCIPAL SECRETARY

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 400 -- 50